

## अधिकार पत्र / Adhikar Patra

प्रिय/Dear \_\_\_\_\_

लाभार्थी की आईडी / Beneficiary ID \_\_\_\_\_

पैकेज कोड / Package Code \_\_\_\_\_

अस्पताल का नाम / Hospital Name \_\_\_\_\_

अस्पताल की आईडी / Hospital ID \_\_\_\_\_

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए हम खुश हैं।

We are happy to extend healthcare service to you under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana.

जैसा कि आप सूचीबद्ध अस्पताल से उपचार प्राप्त कर रहे हैं, हम आपको एक लाभार्थी के रूप में आपके अधिकारों के बारे में सूचित करना चाहते हैं।

As you are seeking treatment from our empanelled hospital, we wish to inform you about your rights and entitlements as a beneficiary.

आयुष्मान भारत पीएम-जय के अंतर्गत सेवा वितरण संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप हमारे टोल-फ्री नंबर 14555 पर संपर्क कर सकते हैं।

For any grievance related to service delivery under Ayushman Bharat PM-JAY, you may contact us at our toll-free number -14555.

हम आपके संतोषजनक अनुभव और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

We wish you a satisfactory experience and quick recovery.

आपका

Yours Sincerely

-----

(प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र का हस्ताक्षर / Signature of Pradhan Mantri Arogya Mitra)



## AS A BENEFICIARY UNDER THE SCHEME, YOU ARE ELIGIBLE FOR:

- Healthcare coverage up to ₹5 lakh per family per year in empanelled hospitals across the country
- The free healthcare services under the scheme covers:
  - Treatment of any/all pre-existing illnesses
  - Free medicines, drugs, implants and food during the treatment
  - It covers up to 3 days of pre-hospitalization and up to 15 days post-hospitalization expenses such as diagnostics and medicines.
  - Nursing, fooding, boarding and bed charges (General ward)
- Treatment without any discrimination based on age, sex, religion, economic and social status
- Privacy during consultation and treatment

## योजना के तहत लाभार्थी के रूप में, आप निम्न के लिए पात्र हैं:

- सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार।
- इस योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल हैं:
  - पहले से मौजूद किसी भी/सभी बीमारियों का इलाज
  - उपचार के दौरान निःशुल्क दवाएं, प्रत्यारोपण और भोजन
  - यह अस्पताल में भर्ती होने से पहले 3 दिनों तक और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक के खर्च जैसे निदान एवं दवाओं को कवर करता है।
  - नर्सिंग, भोजन, बोर्डिंग और बिस्तर शुल्क (सामान्य वार्ड)
- उम्र, लिंग, धर्म, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के उपचार
- परामर्श और उपचार के दौरान गोपनीयता

## FOR MORE DETAILS REGARDING THE SCHEME

### योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए

हमारे टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करें

Call at toll- free number-14555

हमारी वेबसाइट [pmjay.gov.in](http://pmjay.gov.in) पर जाएं

Visit our website – [pmjay.gov.in](http://pmjay.gov.in)

पात्रता जानने के लिए [mera.pmjay.gov.in](http://mera.pmjay.gov.in) या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)/ सूचीबद्ध अस्पताल पर जाएं

Visit [mera.pmjay.gov.in](http://mera.pmjay.gov.in) or nearest **Common Service Centre (CSCs)** /empaneled hospital to know eligibility

शिकायत दर्ज करने के लिए [grievance.pmjay.gov.in](http://grievance.pmjay.gov.in) पर जाएं

Visit [grievance.pmjay.gov.in](http://grievance.pmjay.gov.in) to register any complaints

